बी-ए-भाग-3
हिन्दी- प्रतिष्ठा
सप्तम पत्र-भाषा की विशेषताएँ
रमेश कुमार यादव
हिन्दी - विभाग
डी० के० कालेज

भाषा की विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ -

भाषा - सम्बन्धीत कुछ ऐसी विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ है, जो सभी भाषाओं में समान रूप से पायी जाती हैं। व्याकरण के नियम किसी-विशेष में लागू होते हैं, किन्तु जिन विशेषताओं और प्रवृत्तियों की चर्चा आगे की जायेगी उनका सम्बन्ध भाषा-मात्र से है।

1 भाषा सामाजिक वस्तु है -

भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। प्रजातन्त्र की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, चाहे तो भाषा के सम्बन्ध में भी कह सकते है कि भाषा समाज की समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। मातृभाषा शब्द सुनकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाषा की उत्पत्ति भाषा से होती है या माता की कोई विशिष्ट भाषा है। भाषा सीखी तो जाती है पूरे समाज से और सिखाता है पूरा समाज किन्तु उसका प्रारम्भ माता से ही होता है। आरम्भिक पाठ माता ही पढ़ाती है, क्योंकि जन्म के बाद जितना सीधा और निकट का सम्बन्ध उससे होता है, उतना समाज के किसी और प्राणी से नहीं। वस्तुत: भाषा-जैसी सामाजिक वस्तु को शिशु तक पहुँचाने का काम, या यो कहे कि शिशु को भाषा से

परिचित कराने का काम पहले-पहल माता करती है। इसीलिए उसके ऋण या आभार को स्वीकार करने के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किन्तु जिस भाषा को वह सिखाती है वह समाज की ही सम्पत्ति है, जिसे स्वयं उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना हो ही नहीं सकती। यद्यपि भाषा के अन्य अनेक आधार भी होते हैं, जैसे भौतिक या साहित्यिक, पर ये भी उसके सामाजिक रूप के ही विभिन्न पक्ष हैं। भौतिक आधार भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करता है तो साहित्यिक आधार भावों और विचारों की संचित राशि को। तात्पर्य यह है कि चाहे जिस दृष्टि से देखें, भाषा का सामाजिक रूप स्पष्ट है। सच पूछिए तो भाषा की उत्पत्ति प्रधानतः सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही हुई है।

2- भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है-

मनुष्य के समान भाषा की भी धारा सतत प्रवहमान है। जिस प्रकार उद्गम-स्थल से लेकर समुद्र-पर्यन्त नदी की धारा अविच्छिन्न होती है, वह कहीं भी सूखती या टूटती नहीं उसी प्रकार जब से भाषा आरम्भ हुई तब से आज तक चली जा रही है और जब तक मानव-समाज रहेगा तब तक इसी प्रकार चलती रहेगी।

भाषा की यह गतिशीलता समाज में ही रहती है; व्यक्ति उसे अर्जित कर सकता है, उसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी कर सकता है, किन्तु न तो उसे उत्पन्न कर सकता है और न उसे समाप्त कर सकता है। वह उस विशाल कालजयी प्रवाह का एक नगण्य बिन्दु-मात्र है जो चाह कर भी अपनी सत्ता पृथक नहीं कर सकता। पृथक करने के प्रयास में उसी की सत्ता मिट जायेगी।

3. भाषा सर्व-व्यापक है -

मनुष्य का समस्त कार्य-कलाप भाषा से व्याप्त और परिचालित है। व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध या व्यक्ति-समाज का सम्बन्ध भाषा के बिना अकल्पनीय है।

4. भाषा सम्प्रेषण का मौखिक साधन है -

जैसा हमने पहले देखा है, सम्प्रेषण के सांकेतिक, आंगिक, लिखित आदि अनेक रूप हैं अर्थात इनमें से किसी के द्वारा व्यक्ति अपना अभिप्राय दूसरों पर प्रकट कर सकता है। सांकेतिक या आंगिक साधनों की अपूर्णता तो स्पष्ट है ही, लिखित साधन भी उससे मुक्त नहीं हैं। उच्चरित भाषा में ध्वनि के आरोह-अवरोह, काकु आदि की भंगिमा के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है वह लिखित भाषा में असम्भव है।

5 भाषा अर्जित वस्तु है।
6 - भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है।
7 - भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया है।
8 - भाषा सामाजिक दृष्टि से स्मरित होती है।
9 - भाषा परिवर्तनशील है।
10 - भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है।
11 - भाषा स्थिरीकरण और मानकीकरण से प्रभावित होती है।
12 - भाषा पहले उच्चरित रूप में परिवर्तित होती है
13. प्रत्येक भाषा का ढाँचा स्वतन्त्र होता है
14. भाषा मौखोलिक रूप से स्थानीकृत होती है।

प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की भाषा में भेद होना अनिवार्य है। चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी' वाली कहावत में इसी तथ्य को कहा गया है। भेद कम हो या अधिक पर होगा अवश्य। इसी से भाषा में या बोली का प्रश्न उठता है। यह भाषा का स्वरूपगत भेद भौगोलिक भेद के आधार पर ही हुआ करता है।

रमेश कुमार यादव
असिस्टेंट - प्रोफेसर
हिन्दी - विभाग
डी. के. कालेज, डुमराँव